संख्याः 1531 /XII(1)/2021-82(04)/2021

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2021

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 880/2021 "500 पंचायत घरों के निर्माण के लिए रू0 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जायेगी" के अनुपालन में पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–487/XII(1)/2021-92(07)/2005 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवनों से संतृप्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से "पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना" लागू की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन नव निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु विभाग द्वारा तैयार मानक मानचित्र के अनुसार पंचायत भवन की लागत रू0 20.00 लाख/प्रति पंचायत भवन के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा, 25 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सेक्टर से वहन किये जाने के निर्णय लिया गया है।

2. उक्त उपबन्धित व्यवस्थानुसार मनरेगा एवं अन्य स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था सम्भव नहीं होने तथा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 880/2021 "500 पंचायत घरों के निर्माण के लिए रू0 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जायेगी" के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त शासनादेश संख्या–487, दिनांक 29.04.2021 को संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) पंचायत भवन की पूर्व निर्धारित लागत रू0 20 लाख/प्रति पंचायत भवन के स्थान पर ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या के आधार पर अनुमोदित मॉडल पंचायत भवन के नक्शों/आगणनों के आधार पर अधिकतम धनराशि रू0 10 लाख तक राज्य सेक्टर से स्वीकृत की जायेगी।

(ii) पंचायत भवनों के निर्माण की लागत रू0 10.00 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था मनरेगा/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/स्वयं के संसाधनों से वहन की जायेगी।

(iii) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय आय–व्ययक में पंचायत भवनों का निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20 करोड़ में से 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 4.00 लाख प्रति पंचायत आवंटित की जायेगी। अवशेष निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्षों में

प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष की जायेगी तथा उक्त धनराशि में 25 % की धनराशि पंचायत भवन की अन्य आधारभूत संरचनाओं में व्यय की जायेगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या–68/XXVII(4)/2021 दिनांक 03 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः —— /XII(1)/2021-82(04)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय, महालेखाकार, कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त अनुभाग–4/7, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
13. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
उप सचिव।